राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांकः– एफ.165(13)पंरावि/ले.ब./15वां वि.आ./दिशा–निर्देश/2021–22/301 जयपुर, दिनांकः– 15-2-22

मुख्य कार्यकारी अधिकारी/
अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद – समस्त।
विकास अधिकारी,
पंचायत समिति – समस्त।

विषयः–पन्द्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत् पंचाट अवधि (2021–26) वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2025–26 तक पंचायती राज संस्थाओं को देय अनुदान राशि के उपयोग/कार्यान्वयन हेतु संशोधित दिशा–निर्देशों के संबंध में।

संदर्भः–विभागीय पत्रांक एफ 165 (13)परावि/ले.ब./15thFC/2020-21/1111 दिनांक 16.7.2020, 2810 दिनांक 07.12.2020 एवं 1622 दिनांक 13.07.2021 के कम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों द्वारा पन्द्रहवें वित्त आयोग योजनान्तर्गत आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं को देय अनुदान राशि के उपयोग हेतु दिशा–निर्देश जारी किये गये थे। जिनके अतिक्रमण के कम में 15वां वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट के अध्याय–7 में "स्थानीय शासनों का सशक्तिकरण" में पंचायती राज संस्थाओं के लिए की गई सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के लिए निर्धारित किए गए अनुदानों में से, 60 प्रतिशत को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं, जैसे कि पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और स्वच्छता के लिए बन्ध–अनुदान (Tied-Grant) के रूप में निर्धारित किया गया है, जबकि 40 प्रतिशत अनाबद्ध–अनुदान (Untied-Grant) का उपयोग पंचायती राज संस्थाओं द्वारा मूलभूत सेवाओं में सुधार लाने के लिए उपयोग किया जा सकेगा।

<u>अनुदान हस्तान्तरण का आधारः–</u>

पंद्रहवें वित्त आयोग की अंतरिम रिपोर्ट अनुसंशित अनुसार षष्टम–राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई नवीनतम कार्यवाही विवरण (ATR) के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं (जिला परिषदों को 5 प्रतिशत, पंचायत समितियों को 20 प्रतिशत एवं ग्राम पंचायतों को 75 प्रतिशत) में राशि का वितरण किये जाने का निर्णय लिया गया है।

<u>मूल–अनुदान (Untied Grants)</u>:–

पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किये जाने वाले कार्यो की सांकेतिक सूची अंकित की गई है। जिसमें 15वें वित्त आयोग के तहत् **पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किये जाने वाले निम्नांकित कार्यों/गतिविधियों के सांकेतिक मद जिन पर ग्रामीण स्थानीय निकायों द्वारा देय 40 प्रतिशत मूल (Untied) अनुदानों का उपयोग किया जा सकेगा:–**

1. स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण के राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से सम्बन्धी गतिविधियां जैसेः– बच्चों का टीकाकरण एवं बच्चों के कुपोषण की रोकथाम।
2. ग्राम पंचायत भवनों का निर्माण और मरम्मत।
3. ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अन्दर तथा अन्तर ग्राम पंचायत में सड़कों का निर्माण, मरम्मत और रखरखाव।

Scanned with CamScanner
Scanned with OKEN Scanner

4. ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अन्दर तथा अन्तर ग्राम पंचायत में पैदल रास्तों (फुटपाथ) का निर्माण और मरम्मत।
5. ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अन्दर तथा अन्तर ग्राम पंचायत में एलईडी स्ट्रीट लाईटस और सोलर लाइटिंग की स्थापना (installation), मरम्मत और रखरखाव जैसे लागू हो (सौर स्ट्रीट लाइट अलग–अलग पोल या केन्द्रीकृत सौर पैनल प्रणाली हो सकता है)।
6. ग्राम पंचायत में श्मशान के निर्माण, मरम्मत और रखरखाव और श्मशान और श्मशान घाट के लिए जमीन का अधिग्रहण, रखरखाव तथा मृतशव दफनाने हेतु कब्रिस्तान के लिए जमीन का अधिग्रहण, निर्माण एवं रखरखाव।
7. ग्राम पंचायत के भीतर पर्याप्त और बैंडविड्थ वाई–फाई डिजिटल नेटवर्क सेवाएं प्रदान करना।
8. सार्वजनिक पुस्तकालय।
9. बच्चों के पार्क सहित मनोरंजन सुविधाएं।
10. खेल का मैदान।
11. ग्रामीण हाट।
12. खेल व शारीरिक फिटनेस हेतु उपकरण आदि।
13. अन्य कोई बुनियादी सेवाएं जो राज्य सरकार द्वारा संबंधित राज्य विधान के तहत अनिवार्य सुधार/संवर्धित सेवाओं के आवर्ती व्यय जैसेः–बिजली के लिए आवर्ती व्यय, आउटसोर्सिंग के आधार पर जनशक्ति और आवश्यक रूप से **अन्य प्रशासनिक खर्च (10 प्रतिशत की सीमा के भीतर)**, विभिन्न अधिनियमों/कानूनों के तहत पंचायतों को विशेष रूप से अनिवार्य दायित्वों का निर्वहन जैसेः–जैव विविधता अधिनियम, 2002 के तहत पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर (पीबीआर) को अद्यतन करना।
14. प्राकृतिक आपदाओं/महामारी की स्थिति में आवश्यक एवं तत्काल राहत कार्यों के प्रबन्धन हेतु निम्न गतिविधियों में अनुदान राशि का उपयोग किया जा सकेगाः–
    - i. सैनिटाइजेशन आइटम, मास्क और पीपीई किट की खरीद और वितरण, आइसोलेशन सेंटर/कोविड केयर सेंटर की तैयारी, थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, स्टीम इनहेलर आदि जैसे साधारण उपकरणों की खरीद और कोविड केयर सेंटरों में अतिरिक्त बेड के निर्माण पर खर्च, ऑक्सीजन सिलेन्डर/कन्सीट्रेटर आदि की खरीद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के परामर्श से नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
    - ii. थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, पीपीई किट, स्टीम इनहेलर आदि जैसी वस्तुओं की खरीद के संबंध में, स्थानीय निकायों को निर्दिष्ट गुणवत्ता मानकों के साथ–साथ मूल्य सीमा के संबंध में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आदेश की पालना किया जाना सुनिश्चित करावें।
    - iii. पंचायतीराज संस्थाएं ऐसी खरीद को आरटीपी नियम 2013 और अधिनियम 2012 के अनुसार निर्धारित मानक प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए और इस प्रकार अर्जित संपत्ति को पंचायतीराज संस्थानों के स्टॉक/संपत्ति रजिस्टर में भी दर्ज किया जाना चाहिए और इसे स्वास्थ्य विभाग/स्वास्थ्य केन्द्र की संपत्ति के रूप में नहीं माना जाएगा।
    - iv. गांव के निवासियों के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा के अन्तर्गत गांवों में आबादी के सभी योग्य गरीब और दलित वर्गों (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) को शामिल किया जावेगा।
    - v. ऐसे बीमा के लिए प्रीमियम का व्यय जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों द्वारा ही वहन किया जाएगा, न कि ग्राम पंचायतों द्वारा ग्राम पंचायतों के स्तर पर उपलब्ध अनुदान राशि से।

Scanned with CamScanner
Scanned with OKEN Scanner

15. नवगठित पंचायत समितियों के कार्यालय भवन के निर्माण कार्य से संबंधित कार्य अनुमत है।
16. इसके अतिरिक्त स्थानीय निकायों द्वारा बेसिक (अनटाईट फण्ड) अनुदान का उपयोग वेतन या अन्य स्थापना व्यय को छोड़कर, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सेवाओं में सुधार के लिए किया जा सकता है।
17. सामाजिक अंकेक्षण सहित बाहरी एजेंसियों द्वारा खातों की लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक व्यय, इस अनुदान से वहन किया जा सकता है।

15वें वित्त आयोग अन्तर्गत पंचायती राज़ संस्थाओं (जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत) को देय मूल (अनटाईड) अनुदान के तहत तकनीकी एवं प्रशासनिक व्ययों हेतु 10 प्रतिशत राशि के अंतर्गत अनुमत कार्यों की सूची:–

1. पंचायती राज संस्थाओं में प्रोफेशनल (पेशेवर) पर्सनस् जैसे लेखाकार सह–डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, इंजीनियर आदि की सेवाएं संविदा बेसिस पर अथवा कार्य बेसिस पर लेना आधारभूत (barefoot) प्रोफेशनल पर्सनस् अथवा कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सनस् की सेवाएं लेना।
2. जिन पंचायती राज संस्थाओं में वर्तमान में कम्प्यूटर नहीं है, में कम्प्यूटर, पार्टस् क्रय करना एवं इनके वार्षिक संधारण पर व्यय।
3. इंटरनेट सुविधा प्राप्त करने हेतु एक बारीय लागत एवं उस पर आर्वती व्यय।
4. ग्राम पंचायत कार्यालय हेतु एक बारीय आवश्यक फर्नीचर क्रय।
5. पंचायती राज संस्थाओं में कराये जा रहे सिविल कार्यों की गुणवत्ता की जांच करने हेतु आने वाले प्रोफेशनलस् के मानदेय/पारिश्रमिक का भुगतान।
6. डाटा एंट्री लागत सहित सामान्य सेवा केन्द्रों (CSCs) का भुगतान।
7. लेखों का अद्यतन करना।
8. निरीक्षण कार्यों हेतु आकस्मिक स्थिति (अधिकतम 24 घण्टों के लिए) में वाहन किराये पर लेने पर व्यय।
9. परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए परियोजना रिपोर्ट और तकनीकी योजना तैयार करने की लागत।
10. जी.पी.डी.पी. तैयार करने की लागत जिसमें पी.आर.ए., आई.ई.सी. सर्वे मानचित्र एवं अन्य डॉक्यूमेंट तैयार करने की लागत, परामर्श पर व्यय अथवा कन्जूमेबलस् की लागत शामिल है।

<u>**गैर अनुमत कार्यों की सूची**</u>

1. किसी अन्य योजना के अंतर्गत पूर्व में ही वित्त पोषित किये जा रहे है, कार्यो पर व्यय।
2. सांस्कृतिक कार्यक्रमों, सजावट, उद्घाटन (लोकार्पण) कार्यक्रमों पर व्यय।
3. निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के वेतन/भत्ते–मानदेय पर व्यय।
4. मौजूदा स्थाई/संविदा कर्मचारियों के वेतन एवं मानदेय पर व्यय।
5. पुरूस्कार एवं इनामों पर व्यय।
6. मनोरंजन पर व्यय।
7. एयर कंडीशनर की खरीद।
8. वाहन क्रय।

Scanned with CamScanner
Scanned with OKEN Scanner

बंध–अनुदान (Tied Grants):–

बन्ध–अनुदान (Tied-Grant) की 50% राशि का उपयोग क्रमशः (अ) स्वच्छता और खुले में शौच मुक्त (ODF) की स्थिति और रखरखाव तथा शेष 50% राशि का उपयोग (ब) पेयजल आपूर्ति, जल संचयन और जल पुनर्चक्रण की बुनियादी सेवाओं के लिए किया जा सकता है। हालांकि, अगर किसी भी स्थानीय निकाय ने उक्त (अ) व (ब) में से कोई एक श्रेणी की जरूरतों को पूर्ण कर लिया है, तो वह अन्य श्रेणी के लिए राशि का उपयोग कर सकेगी।

पन्द्रहवें वित्त आयोग के तहत प्रदत्त बंध–अनुदान (Tied Grant) का उपयोग पंचायती राज संस्थाओं के लिए पीने के पानी एवं स्वच्छता बिन्दुओं के अन्तर्गत निम्न गतिविधियों को प्राथमिकता दी गई है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

1–पेयजल सम्बन्धी गतिविधियां	
नियमित रूप से पीने योग्य पानी के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर का न्यूनतम सेवा स्तर प्रदान करने के लिए जलापूर्ति प्रणाली की दीर्घकालिक स्थिरता प्रदान करने के लिए उदाहरणात्मक गतिविधियां (लेकिन सम्पूर्ण नही) निम्न है:–	
क.सं.	विवरण
1.	पीने के पानी के मौजूदा जल स्त्रौतों का विस्तार बोरवेल रिचार्ज, वर्षा जल संचयन अर्थात चैकडेम, जल निकायों का पुर्नस्थापन, वॉटरशेड और स्प्रिंग्सशेड प्रबन्धन आदि।
2.	पंचायती राज संस्थाओं के अधीन स्कूलों, आंगनबाडी केन्द्रों, स्वास्थ्य केन्द्रों आदि जैसे संस्थानों में पानी उपलब्ध कराना।
3.	सम्पूर्ण डिजाईन अवधि के लिए सेवा प्रदाय में सुधार के लिए मौजूदा जलापूर्ति योजनाओं/प्रणालियों का पुनः निर्धारण ।
4.	आस–पास की सतह के स्त्रौत से पानी लाना, बोरवेल, पेयजल हेतु ग्रामीण वितरण प्रणाली (इन विलेज डिस्ट्रब्यूशन नेटवर्क) ऑवरहेड टैंक (ईएसआर), नाबदान (Sump), छोटे घरों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए कपड़े धोने और स्नान करने के स्थान एवं एवं मवेशी नांद आदि की व्यवस्था करना।
5.	धूसर (रसोई घर एवं स्नानागार से बहने वाला अपशिष्ट जल) जल का निदान करना और उसका पुनः उपयोग यथा तालाब के स्थिरीकरण एवं उससे सम्बन्धित बुनियादी ढांचा निर्माण।
6.	पेयजल आपूर्ति को संचालन एवं रखरखाव और धूसर (रसोई घर एवं स्नानागार से बहने वाला अपशिष्ट जल) जल के प्रबन्धन प्रणालियों का संचालन एवं रखरखाव।

Scanned with CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

क.सं.	2–स्वच्छता सम्बन्धी गतिविधियां
1.	स्वच्छता, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के उद्देश्य से बनाई गई सभी सामुदायिक परिसंपत्तियों का संचालन और रखरखाव यथा सामुदायिक प्रबंधित स्वच्छता परिसर, धूसर जल के प्रबंधन प्रणाली, गो–बर्धन परियोजनाएँ, मल कीचड़ प्रबंधन परियोजनाएँ, सोखता गड्ढों का, खाद के गड्ढों आदि का निर्माण।
2.	घरों से कचरे का संग्रह कर ग्रामीण स्तर के निरूपण स्थल तक परिवहन करना और खाद केन्द्र के प्रबंधन।
3.	स्वच्छ भारत मिशन के चरण–2 के दिशा–निर्देशों के मापदण्डों के अनुसार सामुदायिक प्रबंधित स्वच्छता परिसर का निर्माण ।
4.	स्वच्छ भारत मिशन के चरण–2 के दिशा–निर्देशों के मापदण्डों के अनुसार सामुदायिक खाद गडढों, सोखता गड्ढों/धूसर जल का प्रबंधन प्रणाली का निर्माण।
5.	स्वच्छ भारत मिशन के चरण–2 के दिशा–निर्देशों के मापदण्डों के अनुसार ग्राम भण्डारण से प्लास्टिक कचरे का पंचायत समिति स्तर की प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन ईकाई तक परिवहन करना।
6.	सामुदायिक स्थलों पर शौचालय समूह (पुरूष एवं महिला पृथक–पृथक) का पुनः निर्माण।
7.	जल निकासी चैनलों का निर्माण।
8.	अपशिष्ट प्रबंधन परिसर की सफाई के लिए उपकरण और श्रमिकों के लिए सुरक्षा उपकरण जिनमें मास्क/गमबूट आदि सम्मिलित हो।
9.	सार्वजनिक स्थानों पर पृथक–पृथक रूप से कचरा संग्रहण के लिए गीले और सूखे कचरे के लिए दो ढिब्बा प्रणाली का प्रबंधन ।
10.	मासिक आधार पर अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कचरा संग्रहण केन्द्र का निर्माण केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बॉर्ड/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बॉर्ड के तहत मापदण्डों के अनुसार किया जावें।
11.	ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार की नवीन एवं नवीनीकरण राष्ट्रीकृत बायोगैस और जैविक खाद कार्यक्रम के तहत् मानदण्डों के अनुसार गो–बर्धन परियोजना के तहत (प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर कम से कम 10) नये बायो–गैस प्लांट का निर्माण एवं प्रबंधन और जैविक खाद प्लांट का निर्माण एवं प्रबंधन।

बंध–अनुदान (Tied Grant) जारी करने हेतु शर्ते :– ग्रामीण स्थानीय निकायों को देय बंध–अनुदान (Tied Grant) की राशि निम्नलिखित अनिवार्य शर्तों की पूर्ति के उपरान्त ही जारी की जाएगी:–

(i) ई–ग्राम स्वराज (या DDWS-IMIS के माध्यम से) में जीपीडीपी/बीडीपी/डीडीपी को अपलोड करना, जिसमें स्वच्छता और पेयजल आपूर्ति के लिए ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद की वार्षिक कार्य योजना का विवरण DDWS द्वारा निर्धारित प्रारूप में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा शामिल किया जाना है।

Scanned with CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

पेयजल आपूर्ति के लिए वार्षिक कार्य योजना में शामिल होंगे:– पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण के कार्यों का विवरण।

स्वच्छता के लिए वार्षिक कार्य योजना में शामिल होंगे: – ओडीएफ की स्थिति और रखरखाव और ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के उद्देश्य से जिला स्तर पर तैयार परियोजनाओं (DPR) के अन्तर्गत स्वच्छता एवं खुले में शौचमुक्त (ODF) कार्य योजना का क्रियान्वयन स्वच्छ भारत मिशन की कार्यकारी संस्थाओं (जिला एवं ब्लॉक स्तर) के साथ समन्वय स्थापित कर, किया जाना सुनिश्चित करेगी।

(ii) 15वें वित्त आयोग अन्तर्गत देय टाईड अनुदान (दोनों घटक पेयजल एवं स्वच्छता) के उपयोग का विवरण वेबसाइट पर अपलोड करना।

(iii) बंधे अनुदान के घोषित उद्देश्य के संबंध में अन्य कोई शर्तें जो DDWS उपयुक्त है।

लेखों का संधारण :– ग्रामीण स्थानीय निकायों को देय अनटाईड अनुदान (**Untied Grant**) एवं बंध–अनुदान (**Tied Grant**) की राशि निम्नलिखित अनिवार्य शर्तों की पूर्ति के उपरान्त ही जारी की जाएगी:–

1. 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 से पंचायती राज संस्थाओं (जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत) को देय अनुदान राशि पीएफएमएस–ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर पंजीकृत बैंक खातों में हस्तान्तरित की जाएगी तथा विकेताओं, सेवाप्रदाताओं को पीएफएमएस–ई–ग्राम स्वराज के माध्यम से ही भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा।
2. वित्तीय वर्ष 2021–22 से पंचायती राज संस्थाओं (जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत) के लेखों का संधारण ऑडिट ऑनलाईन (राज्य के ए.एम.एस. सॉफ्टवेयर ऑडिट ऑनलाईन सॉफ्टवेयर से इन्ट्रीग्रेशन होने तक) के माध्यम से ही किया जावेगा।
3. वर्ष 2023–24 के बाद केवल उन्हीं ग्रामीण संस्थाओं को अनुदान प्राप्त होगा जिन संस्थाओं के गतवर्ष के अनन्तिम लेखे और गतवर्ष से पूर्व के ऑडिटेड लेखे ऑनलाइन उपलब्ध होंगे।

कार्यो की स्वीकृति एवं सम्पादन संबंधी व्यवस्था :–

योजनांतर्गत कार्यो का संपादन विभाग में वर्तमान में प्रचलित ग्रामीण कार्य निर्देशिका में अंकित प्रावधानों एवं प्रकिया के अनुरूप तथा आर.टी.पी.पी.एक्ट–2012 एवं आर.टी.पी.पी. नियम–2013 के प्रावधानुसार ही किया जायेगा।

राशि के समायोजन के सम्बन्ध में:–

1. पंचायती राज संस्थाओं (जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत) को पन्द्रहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त होने वाली राशि के हस्तांतरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र सामान्य वित्त एवं लेखा नियमों के भाग–1 के अध्याय–17 के नियम 284 से 286 के अन्तर्गत दिये गये निर्देशानुसार संलग्न निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट–1) के अनुरूप तैयार कर प्रेषित किया जावेगा।
2. पन्द्रहवें वित्त आयोग के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को प्राप्त होने वाली अनुदान राशि का उपयोग इन दिशा–निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जावेगा। ग्राम पंचायत द्वारा अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र यथाशीघ्र संबंधित पंचायत समिति में प्रेषित किया जावेगा साथ

Scanned with CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

ही पंचायत समिति द्वारा अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र संबंधित जिला परिषदों में प्रेषित किया जाएगा। जिला परिषदों द्वारा अधीनस्थ पंचायती राज संस्थाओं के समस्त उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट–1) में संकलित कर अधीक्षण अभियंता (प्रोजेक्ट), पंचायती राज मुख्यालय को हार्डमय सॉफ्ट कॉपी विभागीय ई–मेल आई.डी. rajpr.sep@rajasthan.gov.in पर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

3. ग्राम पंचायतों द्वारा उपयोग की जाने वाली अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र ग्राम पंचायतों से प्राप्त करने और जिला परिषद को प्रस्तुत करने हेतु संयुक्त रूप से विकास अधिकारी, सहायक लेखाधिकारी–प्रथम/द्वितीय एवं सहायक अभियंता/कनिष्ठ अभियंता संबंधित पंचायत समिति उत्तरदायी होंगे।
4. ग्राम पंचायतों के उपयोगिता प्रमाण–पत्रों का समायोजन संबंधित पंचायत समिति स्तर पर किया जाएगा, साथ ही कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु संयुक्त रूप से विकास अधिकारी, सहायक लेखाधिकारी–प्रथम/द्वितीय एवं सहायक अभियंता/कनिष्ठ अभियंता अधिकृत होंगे।
5. पंचायत समिति स्तर एवं जिला परिषद स्तर के उपयोगिता प्रमाण–पत्रों का समायोजन तथा कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु संयुक्त रूप से मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी तथा अधिशाषी अभियंता/सहायक अभियंता अधिकृत होंगे।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद का यह दायित्व होगा कि जिला परिषद के क्षेत्राधिकार में आने वाली पंचायत समितियों से प्राप्त होने वाले उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किये जाने के 07 दिवस के भीतर अधीक्षण अभियंता(प्रोजेक्ट), पंचायती राज विभाग मुख्यालय को हार्ड कॉपी मय सॉफ्ट कॉपी विभागीय ई–मेल आई.डी. rajpr.sep@rajasthan.gov.in पर अनिवार्य रूप से प्रेषित किये जाने होंगे।
7. पन्द्रहवें वित्त आयोग अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं प्रदत्त अनुदान राशि की मासिक वित्तीय प्रगति, भौतिक प्रगति एवं समग्र उपयोगिता संबंधी सूचनाऐं संलग्न निर्धारित प्रपत्र परिशिष्ट–2 के अनुसार प्रतिमाह 05 तारीख तक संयुक्त निदेशक(मॉनिटरिंग अनुभाग), पंचायती राज मुख्यालय को हार्ड कॉपी मय सॉफ्ट कॉपी विभागीय ई–मेल आई.डी. rajpr.jdm@rajasthan.gov.in पर प्रेषित करेंगे।
8. यह दिशा निर्देश प्रशासनिक अनुमोदन एवं वित्त विभाग की आई. डी. संख्या **272200011 दिनांक 02.02..2022 द्वारा प्रदत्त सहमति** के आधार पर जारी किये जा रहे है।

संलग्नः– परिशिष्ट–01 ,02 एवं 03

(पी.सी.किशन)
शासन सचिव

क्रमांकः– एफ.165(13)पंरावि/ले.ब./15वां वि.आ./दिशा–निर्देश/2021–22/ 301 **जयपुर, दिनांकः–** 15-2-22

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1 निजी सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि. एवं पंरावि।
3 निजी सचिव, शासन सचिव, पंरावि।
4 निजी सचिव, निदेशक, पंचायती राज विभाग।
5 निजी सहायक, प्रधान महालेखाकार(सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र, लेखापरीक्षा), राज. जयपुर।
6 संयुक्त सचिव वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग।

Scanned with CamScanner
Scanned with OKEN Scanner

7 संयुक्त सचिव वित्त (व्यय–5) विभाग।

8 निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, वित्त भवन ज्योति नगर, जयपुर।

9 अधिशाषी अभियंता (प्रोजेक्ट) मुख्यालय,पंचायती राज विभाग।

10 संयुक्त निदेशक (मॉनिटरिंग अनुभाग), पंचायती राज विभाग।

11 एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, पंचायती राज विभाग विभागीय वेब साईट पर अपलोड करने हेतु।

12 मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति0मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति–समस्त को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त दिशा–निर्देशों की प्रति आपकी अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करते हुए पन्द्रहवें वित्त आयोग अन्तर्गत प्राप्त राशि का उपयोग दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करावे।

13 समस्त लेखाधिकारी, जिला परिषद।

14 रक्षित पत्रावली।

(एच. आर. पवार)
वित्तीय सलाहकार

Scanned with CamScanner
Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट–1

कार्यालय जिला परिषद/पंचायत समिति/ग्राम पंचायत...............के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र............. वित्तीय वर्ष ....बजट शीर्ष....................

आदेश/ स्वीकृति का विवरण ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग/वित्त विभाग की संख्या एवं तारीख	
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के आदेश संख्या एवं दिनांक	वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत सहायता अनुदान की राशि उनकी स्वीकृति के संदर्भ सहित

1. प्रमाणित किया जाता है कि हाशिये में दिये गये आदेश संख्या के जरिये जिला परिषद/पंचायत समिति/ग्राम पंचायत के पक्ष में बजट शीर्ष......................... के अधीन वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2025–26 तक स्वीकृत की गई सहायता अनुदान की राशि रू. ....तथा पूर्व वित्तीय वर्ष के अव्ययित शेष की राशि ....रू. में से रू....... ....की राशि का उपयोग उस प्रयोजन के लिए कर लिया गया है। जिसके लिए वह प्रदान की गई थी तथा यह कि जिन शर्तों पर यह स्वीकार किया गया था वे पूरी कर ली गई है एवं यह कि रू..................की अव्ययित अनुदान राशि को अगले वित्तीय वर्ष ... .में इसी प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जाएगा या विभाग के निर्देश/अनुदेशों के अनुसार 30 जून............... तक अनुपयोजित अनुदान की राशि रू.......................को बजट शीर्ष........................ के अधीन ट्रेजरी चालान संख्या .... दिनांक............ ....द्वारा समर्पित कर दिया गया है/जमा करा दिया गया है।

विकास अधिकारी	सहायक लेखाधिकारी–प्रथम/द्वितीय वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी	सहायक अभियंता/कनिष्ठ अभियंता अधिशाषी अभियंता/सहायक अभियंता

2. प्रमाणित किया जाता है कि मैंने इससे अपना समाधान कर लिया है कि जिन शर्तों पर सहायता अनुदान स्वीकृत किया गया था। उन्हें विधिवत पूरा कर लिया गया है तथा अनुदान का उपयोग उस प्रयोजन के लिए कर लिया गया है। जिसके लिए उसे स्वीकार किया गया था।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
हस्ताक्षर प्रतिहस्ताक्षरकर्त्ता प्राधिकारी

Scanned with CamScanner
Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट–02

Panchayati Raj Department

Fifteenth Finance Commission

Financial Progress for the FY 2021-22 up to the Month of ……………………

Funding Pattern

Centre State

100 0

Name of District:

(Rs. in Lacs)

S. No.	Institutions	Balance as on 01.04.20..	Allocation	Release	Other Reciepts	Total available Funds (3+5+6)	Exp. up to the last month	Exp. during the month	Total Exp.	% of Exp. against available Funds	Target to be achieved	% of achie. to Target	Exp. under SCSP	Exp. under TSP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	All Gram Panchayat(75%)													
2	All Panchayat Samiti's (20%)													
3	Zila Parisad's (5%)													
	Grand Total													

Fifteenth Finance Commission

Physical Progress for the FY ……… up to the Month of ……………………

S. No.	Institutions	Incomplete work of Previous FY							Current FY works									Progress under SCSP		Progress under TSP	
		Incomplete work of Pre. FY (01.04.20…) and work not start	Completed up to last month	Completed during month	Total completed	Balance of Incomplete Works	work not strated	Cancelled	Total Approved Work	Work Sanctioned (FS)	Completed up to last month	Completed during current month	Total completed	% of completed works against sanctioned works (FS)	Work under progress	work not strated	Cancelled	Total Sanctioned Work	Total completed	Total Sanctioned Work	Total completed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	All Gram Panchayat(100 %)																				
2	All Panchayat Samiti's (20%)																				
3	Zila Parisad's (5%)																				
	Total																				

Fifteenth Finance Commission

Outstanding Utilization Certificate

(Rs. in Lacs)

S. No.	Institutions	Pending UC of last year		Released during the CFY		Total		Adjustment till last month		Adjustment in current month		Total Adjustment		Pending UC	
		No. of Works	Amount	No. of Works	Amount	No. of Works	Amount	No. of Works	Amount	No. of Works	Amount	No. of Works	Amount	No. of Works	Amount
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	All Gram Panchayat(100 %)														
2	All Panchayat Samiti's (20%)														
3	Zila Parisad's (5%)														
	Total														

Scanned with CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

15वें वित्त आयोग के तहत प्रदत्त अनटाईड अनुदान में से अधिकतम 10 प्रतिशत राशि पंचायती राज संस्थाओं के तकनीकी एवं प्रशासनिक व्ययों हेतु संस्थावार प्राथमिकता क्रम, लागत एवं उपयोग का प्रतिशत

भारत सरकार द्वारा प्रदत्त प्राथमिकता क्रम	भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित गतिविधि	राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त प्राथमिकता	कुल लागत का 10% (रू. 0.98 लाख)	10%कुल लागत का प्रतिशत		विशेष विवरण
			कुल लागत का प्रतिशत	प्रतिशत	राशि	
1	2	3	4	5	6	8
1	पंचायती राज संस्थाओं में प्रोफेशनल (पेशेवर) पर्सनस् जैसे लेखाकार सह–डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, इंजीनियर आदि की सेवाएं संविदा बेसिस पर अथवा कार्य बेसिस पर लेना आधारभूत (barefoot) प्रोफेशनल पर्सनस् अथवा कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सनस् की सेवाएं लेना।	1	3.0%	30.0%	29400	आवर्ती व्यय
2	जिन पंचायती राज संस्थाओं में वर्तमान में कम्प्यूटर नहीं है, में कम्प्यूटर, पार्टस् क्रय करना एवं इनके वार्षिक संधारण पर व्यय।	6	AMC = 0.25%	2.5%	2450	आवर्ती व्यय
			Procurment 1.70%	17.0%	16660	एक बारीय व्यय
3	इंटरनेट सुविधा प्राप्त करने हेतु एक बारीय लागत एवं उस पर आर्वती व्यय।	5	0.3%	3.0%	2940	आवर्ती व्यय
4	ग्राम पंचायत कार्यालय हेतु एक बारीय आवश्यक फर्नीचर क्रय।	4	0.7%	7.0%	6860	एक बारीय व्यय
5	पंचायती राज संस्थाओं में कराये जा रहे सिविल कार्यों की गुणवत्ता की जांच करने हेतु आने वाले प्रोफेशनलस् के मानदेय/पारिश्रमिक का भुगतान।	3	0.15%	1.5%	1470	आवर्ती व्यय
6	डाटा एंट्री लागत सहित सामान्य सेवा केन्द्रों (CSC) का भुगतान।	7	0.6%	6.0%	5880	उपरोक्त आईटम, आईटम नं. 1 में सम्मिलित किया जा सकता है।
7	लेखों का अद्यतन पर व्यय।	9	0.10%	1.0%	980	आवर्ती व्यय
8	निरीक्षण कार्यों हेतु आकस्मिक स्थिति (अधिकतम 24 घण्टों के लिए) में वाहन किराये पर लेने पर व्यय।	8	0.7%	7.0%	6860	एक बारीय व्यय
9	परियोजनाओं के कार्यान्वियन के लिए परियोजना रिपोर्ट और तकनीकी योजना तैयार करने की लागत।	10	0.5%	5.0%	4900	आवर्ती व्यय
10	जी.पी.डी.पी. तैयार करने की लागत जिसमें पी.आर.ए., आई.ई.सी. सर्वे मानचित्र एवं अन्य डॉक्यूमेंट तैयार करने की लागत, परामर्श पर व्यय अथवा कन्जूमेबलस् की लागत शामिल है।	2	2.0%	20.0%	19600	प्रत्येक पंचायती राज संस्था के उपयोग हेतु आवश्यकतानुसार (आवर्ती व्यय)

नोट 1 :– वर्ष 2021–22 हेतु 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्रावधान राशि रू. 1141.60 करोड का है। जिसकी 10 प्रतिशत राशि 114.16 करोड होती है। उक्त रू. 114.16 करोड को 11692 पंचायती राज संस्थाओं में बांटने पर प्रति पंचायती राज संस्थाओं औसत राशि 97639.41 ≈ 98000/– आती है। उपरोक्त सारणी में आवर्ती व्यय 98000/– की गतिविधिवार गणना की गई है।

नोट 2 :– कॉलम संख्या–6 में वर्णित राशि संबंधित गतिविधि की अधिकतम सीमा है।

नोट 3 :– पंचायती राज संस्थाओं के अधीन सक्षम स्वीकृति के उपरान्त आवश्यकतानुसार ग्राम की जनता को इन्टरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वाई–फाई का प्रावधान भी कर सकेंगी ।

नोट 4 :– उक्त गणना आवर्ती व्यय हेतु की गई है तथा एकबारीय व्यय पंचायती राज संस्थाऐं अपनी आवश्यकतानुसार उपरोक्त राशि की सीमा में कर सकती है।

Scanned with CamScanner
Scanned with OKEN Scanner

अनुमत कार्य एक नजर में

राज्य वित आयोग षष्टम् (दिशा–निर्देश क्रमांक 100 दिनांक 25.01.2022 के अनुसार)	15वां वित आयोग (दिशा–निर्देश क्रमांक 301 दिनांक 15.02.2022 के अनुसार)
(55%) मूलभूत विकास कार्य	**(40%) Untied**
1. पेयजल व्यवस्था रखरखाव	1. टीकाकरण व कुपोषण से रोकथाम
2. सफाई एवम् कचरा निपटान	2. पंचायत भवन निर्माण मरम्मत कार्य
3. आधारभूत नागरिक सेवायें :–	3. अंतर व आंतरिक सड़कें
1. सार्वजनिक शौचालय/मूत्रालय	4. फुटपाथ निर्माण
2. ठोस कचरा प्रबंधन	5. स्ट्रीट व सोलर लाईटस
3. प्रकाश व्यवस्था	6. शमशान एवम् कब्रिस्तान विकास कार्य
4. दैनिक आधार पर सफाई	7. वाई फाई नेटवर्क सुविधायें
5. पार्क की चार दीवारी एवं रखरखाव	8. पुस्तकालय
6. खेल मैदान की चार दीवारी एवं रखरखाव	9. खेल मैदान
7. शमशान/कब्रिस्तान की चार दीवारी एवं रखरखाव	10. बच्चों के लिए पार्क
8. चारागाह भूमि की चार दीवारी एवं रखरखाव	11. ग्रामीण हाट हेतु दुकानें
9. पुस्तकालय/वाचनालय व फर्निचर/जल टेंक	12. खेल व शारीरिक फिटनेट उपकरण
10. इंडोर खेलों की खेलकुद सामग्री	13. अन्य बुनियादी सेवायें
11. पेयजल आपूर्ति	14. आपदायें, चिरंजीवी रजिस्ट्रेशन
12. पेयजल टंकियां	15. समिति भवन के कार्य
13. सीसी रोड/इंटरलॉकिंग (कुल का 60% तक)	16. बुनियादी सेवाओं में सुधार
14. इंटरनेट सुविधा	17. ऑडिट व्यय, सामाजिक अंकेक्षण
15. पुराने(5 वर्ष) की जगह नये Computer खरीद	**18 40% में से 10% तक राशि प्रशासनिक व्यय**
16. ऑडिट फीस भुगतान	1 ऑपरेटर लगाना
17. बस स्टेण्ड पर टिनशेड व जनसुविधायें	2 कम्प्यूटर पार्टस व रखरखाव
18. जनप्रतिनिधि प्रशिक्षण	3. एकबारीय कम्प्यूटर/ फर्निचर खरीद कार्य
19. मानदेय/बैठक भत्ता	4. गुणवत्ता परीक्षण करवाना
20. शिविर अभियान आयोजन व्यय	5. डाटा एन्ट्री सहित सेवा केन्द्रों का भुगतान
21. दुकान निर्माण कार्य	6. लेखो को अद्यतन करना
22. अधीन राजकीय विद्यालयों में शौचालय/कक्षा–कक्ष निर्माण	7. आकस्मिक स्थिति में वाहन किराया
23. PRI के अधीन विद्यमान भवनों का अनुरक्षण व उन्नयन	8. GPDP निर्माण एवं DPR/ Inspection
24. आंगनवाडी/स्कूलों की चार दीवारी व शौचालय निर्माण	

40% (राज्य/राष्ट्रीय प्राथमिकता)

1. कोविड नियंत्रण	7. प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण
2. ई–गर्वनेंस/डाटाबेस	8. अम्बेडकर भवन
3. RO प्रणाली/JJY/ पेयजल	9. सौर/LED लाईटों का उपयोग
4 RGJSY/ वृक्षारोपण	10. अग्निशमन सेवायें
5. विद्यालय स्वच्छता/ODF	11 अपराध मुक्त गांव/लिंग संवेदीकरण
6. इंदिरा रसोई	12.खेलकूद/व्यक्तित्वविकास शिविर

5% (प्रोत्साहन अनुदान)

1 चारागाह भूमि रखरखाव/पोधारोपण
2 सेनेटी नेपकिन वेण्डिंग मशीन खरीद
3 ग्राम पंचायत में मेला आयोजन

(30%) TIED(स्वच्छता)	(30%) TIED (पेयजल)
1 ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन तथा दो डिब्बा प्रणाली का प्रबंधन	1. मौजूदा जलस्त्रोतों का विस्तार एवं प्रबंधन
2. कचरा पात्र, कचरा परिवहन तथा कचरा संग्रहन केन्द्र	2. PRI के अधीन विभागों के संस्थानों में पानी की व्यवस्था
3. SBM योजनांर्गत CSC एवं अन्य स्वच्छता कार्य	3. मौजूदा जलापुर्ति योजनाओं का पुर्नरूत्थान
4. महिला पुरूष पृथक–पृथक शौचालय समूह निर्माण	4. सार्वजनिक स्नानागार एवं मवेशी नांद
5. नाली निर्माण	5. बौरवेल, ऑवरहैड टैंक एवं ग्रामीण जल वितरण प्रणाली
6. सफाईकर्मियों हेतु सुरक्षा उपकरण	6. धूसर जल निपटान
7. नये बायोगैस एवं जैविक खाद प्लांट निर्माण एवं प्रबंधन	7. तालाबों का स्थिरीकरण एवं बुनियादी ढांचा निर्माण

Scanned with OKEN Scanner